

Mr. Chairman: The question is:

"That this House agrees with the Ninety-eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 16th November, 1966."

The motion was adopted.

15.30½ hrs.

PERSONEL LIBERTIES (RESTORATION) BILL*

श्री यशपाल सिंह (कैराना) :
सभापति महोदय, मैं परसनल लिबर्टीज (रेस्टोरेशन) बिल पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Telgraph Act, 1885 and the Indian Post Office Act, 1898."

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं इस बिल को पेश करता हूँ।

15.31 hrs.

CATTLE SLAUGHTER PROHIBITION BILL*

श्री प्रकाशवीर शारत्री (बिजनौर) :
मैं सम्पूर्ण गोवंश पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी पशु वध निषेध विधेयक पेश करने की अनुमति चाहता हूँ।

Mr. Chairman: The question is:....

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Can it be introduced here in this House? The opinion of the Attorney-General was given in this very House that

such a Bill could not be introduced in the Lok Sabha and could not be passed. Since the Law Minister is here, you can take his opinion also.

श्री प्रकाशवीर शारत्री : वह कायदे में होगा, तभी तो इन्होंने इसको आज्ञाने दिया।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): At this stage we do not oppose it. Still there is opportunity for the Law Minister to explain, because this is the tradition of our House that at the stage of introduction, we do not oppose it.

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak): Ordinarily we do not oppose a motion for introduction of a Bill, but here the question is one of competence of Parliament. This is a matter which refers to List No. 2, and the State alone can legislate on this subject. Therefore, this question could be raised here. At this stage....

Shri Raghunath Singh: Then, how was this allowed for introduction? Your Ministry has not objected to it.

Shri G. S. Pathak: This is the first time when an objection can be taken.

Shri Raghunath Singh: It cannot come on the Order Paper then.

Shri G. S. Pathak: This Bill cannot be introduced here, and leave should not be granted, because Parliament is not competent to legislate on this subject.

Shri Raghunath Singh: In this respect I have to make a submission. It is only when the Speaker and the Lok Sabha Secretariat find that a Bill is in order and can be introduced, it is allowed. If the Bill is not proper, then they write to us saying that it is not proper, and it cannot be introduced. The Lok Sabha Secretariat

[Shri Raghunath Singh]

has not said anything. They can oppose at the time of discussion. This is not the stage to say that the Bill cannot come here.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): This is the stage.

Shri Raghunath Singh: This is not the stage. Show me the rule.

Mr. Chairman: I think we have a convention not to oppose the introduction of a Bill. Whatever be the legal point, the question of its being *ultra vires* the Constitution etc., may be taken up at the discussion.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of slaughter of cattle."

The motion was adopted.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं इस विधेयक को पेश करता हूँ ।

15.35 hrs.

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL—contd.
by Shri M. Malaichami

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, मैं अपने मित्र को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कि इस विधेयक को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की जहाँ तक धारा 2(ए) का सम्बन्ध है, पाठक जी ने स्वीकार किया है, और करीब करीब हर सूबे में रूल बन गया है। जिन का नाम इलैक्ट्रोरल रोलज में नहीं है, उन का नाम इलैक्ट्रोरल रोलज में आ जाय, उस के लिये एक टाइम लिमिट दिया गया है, उसमें सब लोग अपना नाम दे सकें। उस के बाद भी जैसा यू० पी० में है कि आठ आने दे कर नाम दाखिल किया जा सकता है। इस लिये जहाँ तक इस धारा का सम्बन्ध है, इस में कोई खास बात नहीं है।

लेकिन बलाज 3 के सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन उपस्थित किया गया है। मैं चाहता हूँ कि पाठक जी, जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, इस को स्वीकार करेंगे। पाठक जी जनते हैं सी० पी० सी० के अन्दर 35(7) सक्शन है, जिस में कि कम्पेन्सरी कास्ट, या जिस को स्पेशल कास्ट भी कहते हैं, वह दी जाती है। यह स्पेशल कास्ट किस स्थिति में दी जाती है? अगर कोई फुलस, फाल्ज एलीगेशन लगाता है और अदालत समझती है कि यह केवल तंग करने के वास्ते पंशान करने के वास्ते, मुकदमा दाखिल किया गया है, उस वक्त अदालत या जज, स्पेशल कास्ट एवार्ड करता है।

इसी प्रकार से मेरे मित्र ने जो विधेयक उपस्थित किया है, वह भी यही चाहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा बन्धन लोगों के ऊपर होना चाहिये ताकि जो फ्रेबुलस एलीगेशन लगाये, अनेक प्रकार के झूठे झूठे आरोप लगाये जाते हैं, तो उन पर कुछ बन्धन लगे। जैसा इलैक्शन में होता है कि इलैक्शन के टाइम पर जो हारा हुआ इन्डिडेंट होता है, जब तक वह हारता नहीं है, वह सोचता है कि वह जीत रहा है, वोटिंग के टाइम तक, वह आफिस के खिलाफ, प्रेसाइडिंग आफिसर के खिलाफ, रिटनिंग आफिसर के खिलाफ कोई एलीगेशन नहीं लगाता। लेकिन अगर वह वोटिंग में हार जाता है, तब जितने दुनिया भर के दोष हैं, सब प्रेसाइडिंग आफिसर में, सब रिटनिंग आफिसर में, सब दूसरे आफिसर में आ कर निहित हो जाते हैं। और जब वह इलैक्शन पैटिशन दाखिल करता है, उस वक्त आफिसर के खिलाफ, पॉलिग एजेंट के खिलाफ, रिटनिंग आफिसर के खिलाफ और जिता अधिकारी है, सब के खिलाफ अनेक प्रकार के आरोप लगाता है। जहाँ तक आवेदक का सम्बन्ध है, जहाँ तक प्रतिवेदक का सम्बन्ध है, अगर एलीगेशन साबित नहीं होती है